NOTICE – GENERAL

(No. REG./GEN/2025-26/98 15 October 2025)

उ०प्र० शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेत आवश्यक सूचना (सत्र 2025–26)

(अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग एव अल्पसख्यक वर्ग के छात्रों हेतु)

Important Information regarding Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement (2025-26)

(For SC/ST, OBC, GEN, and Minority Students)

सत्र 2025–26 हेतु उ०प्र० शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (**Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement**)को प्राप्त करने हेतु शासनादेश संख्या–119/2025/1400/26–3–2025/26-3-2025–1513982 दिनांक 18जून, 2025 जारी किया गया है। इसके निर्देशानुसार संस्थान में सत्र 2025–26 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शासन से प्रदान की जानी है। इसके लिए पात्र छात्र/छात्राओं को उ०प्र० शासन की वेबसाइट **scholarship.up.gov.in** के **Link** पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है तथा शासन द्वारा दी गयी समयसारिणी के अनुसार त्रुटिहीन आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर निर्धारित तिथि के अन्दर संस्थान के कुलसचिव कार्यालय में जमा करना हैं। शासन के निर्देशानुसार आवेदन पत्र भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया छात्र/छात्राओं द्वारा पूर्ण की जानी है एवं इसमें भरी गयी असत्य एवं गलत सूचना भरने व देने के लिए छात्र/छात्राये स्वयं ही जिम्मेदार होंगे तथा ऐसी परिस्थितियों में उ०प्र० शासन द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

आवेदन पत्र भरने की प्रकिया, पात्रता एवं संलग्न होने वाले आवश्यक प्रपत्र तथा समयसारिणी का विवरण निम्न हैं।

(क) आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

First open UP Govt website scholarship.up.gov.in

↓ then go to

Postmatric Scholarship & Fee Reimbursement online system (Link)

(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली) पर जाये उसके बाद

↓

Student Section 2025-26

Old Student click for renewal scholarship | **New Student click for new registration**

For Renewal Application Form

विगत वर्ष छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने वाले छात्र/छात्राओं के नवीनीकरण हेतु।

6. नवीनीकरण के सभी छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति हेतु OTR Generate करे।
7. विगत वर्ष भरे आवेदन पत्र को अपडेट करें।
8. आवेदन पत्र की जाँच करे यदि त्रुटि हो तो सही करें।
9. फाइनल प्रिन्ट निकालें।

For Fresh Application Form

नवप्रवेशित तथा वर्तमान में पात्रता प्राप्त करने वाले आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न है।

0. OTR Generate करे तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन करें।
7. आवेदन हेतु लागिन करें।
8. नया आवेदन पत्र भरें।
9. आवेदन पत्र की जाँच करें यदि त्रुटि हो तो सही करें।
10. फाइनल प्रिन्ट निकालें।

(ख) पात्रता

(1) नवीनीकरण हेतु पात्रता–

(क)विगत वर्ष 2024–25 में आवेदन करने वाले छात्र/छात्रायेही सत्र 2025–26 में नवीनीकरण हेतु पात्र होगें।

(ख) सत्र 2025–26 हेतु निर्धारित समय–सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

(ग) छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में **Result Not Yet Declared**ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अन्दर अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

(घ)शेष पात्रता की शर्तें विगत वर्ष (2024–25) की भांति ही होगी। विगत सत्र 2024–25 में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वालेसभी उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण करना अनिवार्य है न करने पर उनके विरुद्ध जॉच तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(ड) सभी छात्र/छात्रायें अपना एकल बैंक खाता, आधार से लिंकएवं **NPCIPERMAPPING**कराये एवं पूर्व में करा चुके छात्र/छात्रायें पुनः इसकी जाँच करा लें। छात्रों का जनधन खाता नही होना चाहिएएवंखाता संचालित होना चाहिये तथा इसमे ऑनलाइन स्थनांतरण के समय कोई सीमा (**Limit**)न लगी हो।

(2) नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं हेतु पात्रता–

(क) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पात्रता :–

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹ 2.5 लाख या इससे कम होनी चाहिए एवं दशमोतर छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु विगत कोर्स की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं तथा संस्थान के परिसर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया में छात्र का साधारण एकल बचत खाता होना आवश्यक हैं तथा यह खाता आधार से लिंक एवं NPCIPERMAPPINGहोना चाहिए। छात्र/छात्राओं का प्रवेश काउन्सलिंग के माध्यम से होना अनिवार्य हैं।

(ख) सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु पात्रता :–

सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹ 2 लाख या इससे कम होनी चाहिए एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु विगत कोर्स की परीक्षा में 60%अंको के साथ उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य हैं तथा संस्थान के परिसर में स्थित बैंक ऑफ इंडिया में छात्र का साधारण एकल बचत खाता होना आवश्यक हैं तथा यह खाता आधार से लिंक एवं NPCIपरMAPPINGहोना चाहिए। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त काउन्सलिंग के माध्यम से होना अनिवार्य हैं।

(ग) सभी छात्र/छात्रायें अपना एकल बैंक खाता, आधार से लिंक कराये तथा NPCIपरMAPPINGहोना चाहिए एवं पूर्व में करा चुके छात्र/छात्रायें पुनः इसकी जॉच करा ले। छात्रों का जनधन खाता नही होना चाहिए, एवं खाता संचालित होना चाहिये तथा इसमे ऑनलाइन स्थनांतरण के समय कोई सीमा **(Limit)**न लगी हो।

(3) नवीनीकरण करने वाले एवं नवप्रवेशित छात्र/छात्राये अपना मोबाइल नम्बर अकिंत करेगें (भरेगे) यह मोबाइल नम्बर छात्र/छात्राओं के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

(ग) आवश्यक संलग्नक

- आवेदन पत्र का संस्था मे जमा करने हेतु प्रिन्ट आउट।
- छात्र/छात्राओं के परिवार की सभी स्रोतों से पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र, (तहसीलदार द्वारा जारी) तथा नेट वैरिफिकेशन सहित होना चाहिये यदि आय प्रमाण पत्र में आय का श्रोत सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी लिखा हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी अतिरिक्त रुप में संलग्न करना आवश्यक हैं।
- तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (केवल **SC, ST, & OBC** हेतु) नेट वैरिफिकेशन सहित।
- तहसील द्वारा निर्गत छात्र का निवास प्रमाण पत्र नेट वैरिफिकेशन सहित।
- राष्ट्रीयकत बैंक में छात्र के बचत खाते की पास बुक की फोटो कापी (खाता संस्थान में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की तिवारीगंज शाखा लखनऊ में होना चाहिए)
- संस्थान में जमा की गयी शुल्क रसीद की छाया प्रति।
- छात्र के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- काउन्सलिंग आवंटन पत्र तथा प्रवेश परीक्षा परिणाम पत्र की छाया प्रति।
- हाईस्कूल प्रमाण पत्र।
- स्नातक कोर्स हेतु इण्टरमीडिएट मार्कशीट/डिप्लोमा मार्कशीट एवं परास्नातक कोर्स हेतु स्नातक स्तर की मार्कशीट।
- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट मार्कशीट की सर्च डिटेल लगाना अनिवार्य होगा।
- सत्र 2024–25 में यदि शिक्षा में अन्तराल है तो इसका शपथ पत्र।
- छात्र द्वारा प्रारुप–1 पर शपथ पत्र (जाति, निवास, शिक्षण संस्थान, विगत वर्ष परीक्षा उत्तीण होने, बैंक खाता सम्बन्धित विवरण का एक ही शपथ पत्र पर) दिये जाने वाला धोषणा पत्र। प्रारुप–1 कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त करें।
- अभिभावक द्वारा दिये जाने वाला शपथ पत्र प्रारुप–2 पर कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त करें।
- छात्र/छात्राये इस आश्रय का शपथ पत्र अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर कराके की वें कक्षा मे 75 प्रतिशत उपस्थित पूर्ण करेंगा तथा वार्षिक परीक्षा मे भी सम्मिलित होगा यदि छात्र/छात्रा 75 उपस्थिति पूर्ण नहीं करता हैं और वार्षिक परीक्षा मे सम्मिलित नहीं होता है तो शासन से प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सम्बधित विभाग को वापस करेंगा।
- माता तथा पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना है।

(घ) समय सारिणी सत्र 2025–26

क्र0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन नवीन आवेदन तथा नवीनीकरण किया जाना	प्रारम्भ 10जुलाई2025 से अन्तिम तिथि 20 दिसम्बर 2025तक
2.	त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	फाइनल प्रिंट आउट निकलने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में
3.	ऑनलाइन आवेदन पत्र आवश्यक संलग्नकों सहित छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना	संस्थान में जमा करने हेतु (फाइनल) प्रिंट साइट से निकालने के उपरान्त विलम्बता 24दिसम्बर2025 तक
4.	संदेहास्पद डेटा का प्रदर्शित होना व त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना तथा संशोधित आवेदन पत्र को पुनः ऑनलाइन सबमिट किया जाना।	23 जनवरी 2026 से 28जनवरी2026तक
5.	त्रुटियों को ठीक करके ऑनलाइन आवेदन पत्र समस्त संलग्नको सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना	टानलाइन संशोधित आवेदन पत्र में त्रुटियों को ठीक करने के उपरान्त नया प्रिन्ट निकाल कर संस्थान में जमा करें। विलम्बतम 29जनवरी2026 तक

विशेष–पिछड़ा वर्ग के ऐसेछात्र/छात्राओं को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करेगें उन सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं को दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल आथन्टिकेशन के माध्यम से सम्पादित करना अनिवार्य है न करने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नही होगी। इस प्रकिया को करने हेतु कुलसचित कार्यालय में आकर सम्बन्धित जानकरी प्राप्त करेगें।

आज्ञा से,

(डा0 सतीश चन्द)
कुलसचिव

18/10/2025